

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, रांची।

पत्रांक-03/छात्रवृत्ति विज्ञापन-01/2016-1101

प्रेषक,

राम नारायण राम,
उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 29-9-2021

विषय : - विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बी0एड0 महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र-2020-22 के लिए वर्ष-2021 में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक सत्र-2020-21 के लिए एवं शैक्षणिक सत्र-2021-22 हेतु नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में पूर्व से निर्धारित तिथि को संशोधित करने के लिए झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2018 के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्रवाई हेतु विभाग स्तर से लिए गए निर्णय संबंधी आम सूचना से संबंधित विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है।

अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को राज्य एवं राज्य के बाहर सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

राँची, दिनांक : 29-9-2021

ज्ञापांक: 1101

प्रतिलिपि : Centre for Good Governance, Hyderabad को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

राँची, दिनांक : 29-9-2021

ज्ञापांक: 1101

प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, झारखण्ड/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

साथ ही अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

राँची, दिनांक : 29-9-2021

ज्ञापांक: 1101

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय पत्रांक-2282, दिनांक-28.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

झारखण्ड राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बी0एड0 महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र-2020-22 के लिए वर्ष-2021 में नामांकन लेनेवाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक सत्र-2020-21 के लिए एवं शैक्षणिक सत्र-2021-22 हेतु नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना

(P.R. No.-253351)


आम सूचना

झारखण्ड राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बी0एड0 महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र-2020-22 के लिए वर्ष-2021 में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक सत्र-2020-21 के लिए एवं शैक्षणिक सत्र-2021-22 हेतु नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में पूर्व से निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार विस्तारित किया जाता है :-

ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	ई-कल्याण पोर्टल बन्द होने की तिथि
1.	झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बी0एड0 महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र-2020-22 के लिए वर्ष-2021 में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक सत्र-2020-21 के लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि।	25.10.2021
2.	संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि।	30.10.2021
3.	नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि।	15.10.2021

पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार शेष दिशा निर्देश Website- ekalyan.cgg.gov.in पर उपलब्ध है।


उप निदेशक, आदिवासी कल्याण आयुक्त।